सहकारी समिति के प्रशासक को चार साल की सजा

नरसिंहपुर, देशबन्धु। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नरसिंहपुर नीतिराज सिंह सिसौदिया के न्यायालय ने आरोपी शैलेन्द्र सिंह भाटी आयु 61 वर्ष, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर को धारा 7(ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष एवं 5000 रुपये व धारा 13(1)(ख) सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि शिकायतकर्ता मुलाम सिंह पटेल ने 11 जून 2020 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि वह सेवा सहकारी समिति, नांदनेर एवं गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। सहकारी समिति भंग हो जाने के कारण अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह भाटी (सहकारिता निरीक्षक, नरसिंहपुर) को उक्त समिति का प्रशासक नियुक्त किया है।

समिति द्वारा गाडरवारा में माह मई, 2020 में गेहूं की खरीदी की गई थी जिसकी मजदूरी का भुगतान किया जाना था। मजदूरी की उक्त राशि को शासन द्वारा समिति के खाते में जमा कर दिया गया था। उक्त राशि को प्रशासक शैलेन्द्र सिंह भाटी के हस्ताक्षर के बगैर आहरण नहीं किया जा सकता था। उक्त राशि को शैलेन्द्र सिंह भाटी द्वारा अपने हस्ताक्षर से आहरित किया जाकर मजदूरों को उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है किन्तु राशि आहरित करने के एवज में अभियुक्त द्वारा उससे रिश्वत के रूप में 10,000 रुपए धनराशि की मांग की जा रही है, वह अभियुक्त को उक्त राशि नहीं देना चाहता है तथा उसके विरूद्ध वार्ता को रिकार्ड किया।

आरोपी ने रिश्वत राशि लेकर शिकायतकर्ता को 17.6.2020 को मंडी प्रांगण बुलाया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल का गठन किया गया। ट्रेप दल के सदस्यगण 17.6.2020 को प्रातः काल पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस करेली पहुंचे जहां शिकायतकर्ता ने पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया। रिश्वत मांग की वार्ता को शिकायतकर्ता को सुनाया गया उसने अपनी तथा अभियुक्त की आवाज को पहचाना। जिसकी

रिश्वतखोरी के चलते दस हजार रुपए का जुर्माना भी

कार्यवाही चाहता है।

शिकायतकर्ता के उक्त आवेदन को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त द्वारा निरीक्षक स्वप्निल दास को अग्रेषित कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। रिश्वत मांग संबंधी वार्ता को रिकार्ड करवाने हेतु शिकायतकर्ता को वाइस रिकार्डर प्रदान किया गया। दिनांक- 11.6.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा आरक्षक अमित गावड़े के साथ कृषि उपज मण्डी प्रांगण गाडरवारा में जाकर अभियुक्त की रिश्वत मांग ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली धनराशि 10 हजार रुपए प्रस्तुत किए और फिनाफ्थलीन पावडर आदि की कार्यवाही की।

आवेदक को लेनदेन के समय होने वाली बातचीत रिकार्ड करने हेतु पुनः एक डीवीआर दिया गया। आवेदक सहित ट्रेप दल के सदस्यगण मण्डी प्रांगण गांडरवारा पहुंचे। अभियुक्त मंडी प्रांगण में ही उपस्थित था। आवेदक उसके पास पहुंचा तथा उसने अभियुक्त को अपनी जेब से निकालकर रिश्वत की राशि दी जिसे अभियुक्त ने प्राप्त कर अपनी पेंट की जेब में रख लिया। ट्रेप दल के सदस्यगण द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया।

अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह भाटी की हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। अभियुक्त द्वारा पहनी गई पेंट की बांयी जेब से रिश्वत की राशि 10 रुपए जब्त जब्त की गई।

आवेदक मुलाम सिंह द्वारा कार्य से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिन्हें पंचनामे अनुसार जप्त किया गया। रिश्वत के लेनदेन के समय किए गए वार्तालाप की डीवीआर को साक्षियों के समक्ष आवेदक को सुनाया गया। आवेदक द्वारा उसमें अपनी तथा अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह भाटी की आवाज होना बताया। इस संबंध में कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया। घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। पश्चात अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामकुमार पटेल ने की।

मैरिज गार्डन में करंट लगने के सात दिन बाद एक मजदूर की ओर मौत

गाडरवारा देशबन्धु। जमाड़ा मार्ग पर स्थित श्री पैलेस मैरिज गार्डन में 13 जून शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे विद्युत करंट लगने से तीन मजदूरों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मैरिज गार्डन में मजदूर 20 फीट ऊंची लोहे की चके वाली नसेनी लेकर धकेलते हुए ले जा रहे थे उसी समय 11 के वी के तार से टकरा गई जिससे मजदूर करंट की चपेट में आ गए और इस घटना में तीन मजदूरों की मृत्यु और तीन घायल हो गए। घायलों में संतोष पिता नारायण पाली को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था। उपचार के दौरान एक सप्ताह में एम्स भोपाल में उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं क्षेत्रीय विधायक परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सांत्वना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी वही श्री पैलेस गार्डन के संचालक प्रकाश काबरा द्वारा मृतकों के परिजनों को छह-छह लाख चेक के माध्यम से दिए व घायलों का इलाज कराने जबाबदारी लेते हुए अंत्येष्टि के लिए 5-5 हजार रुपये प्रदान किये थे। अब एक मजदूर की ओर मौत हो गई है उसके परिजनों को भी मिलनी चाहिए, जो आर्थिक सहायता घटना के दिन मृतकों के परिजनों को दी गई थी। उसी तरह मृतक संतोष पाली के परिजनों को भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मैरिज गार्डन में मजदूरों को करंट लगने की घटना के दिन पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया था। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच में जुटी हुई है।

सार-समाचार

कीटनाशक गुणनियंत्रण के अंतर्गत कलेक्टर ने उड़न दस्तों का किया गठन

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जिले में कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उर्वरक/ बीज व कीटनाशक सुनिश्चित कराने और किसानों के अनुसार उर्वरकों का औद्योगिक एवं गैर कृषि कार्यों में उपयोग कालाबाजारी, अवैध भंडारण व परिवहन रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने उड़नदस्ता दल गठित किया है। कलेक्टर ने जिला स्तरीय, अनुविभाग स्तरीय व विकासखंड स्तरीय दलों का गठन कर आवश्यक निर्देश दिये हैं।

समाजसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए बंशीलाल अहिरवार सम्मानित

नरसिंहपुर, देशबन्धु। भोपाल में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स का प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन (साधारण सभा) का हिंदी भवन भोपाल में आयोजन किया गया। जिसमें संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों सहित प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता अजाक्स के प्रांताध्यक्ष मान.जे एन कांसोटिया आई ए एस अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान अजाक्स जिला नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष बंशीलाल अहिरवार को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान सहित शासकीय कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं, युवाओं एवं महिला जागरूकता सहित सामाजिक जन जागरूकता व पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर प्रांताध्यक्ष महोदय मान. जे एन कंसोटिया आई ए एस अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। बंशीलाल अहिरवार को सम्मानित होने पर अजाक्स जिला संघ नरसिंहपुर के पदाधिकारियों सदस्यों एवं शुभचिंतकों द्वारा बधाई प्रेषित की गई है।

समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द के लिए किसान पंजीयन का कार्य पांच जुलाई तक

नरसिंहपुर, देशबन्धु। राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार वर्ष 2025/ विपणन वर्ष 2025- 26 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ई- उपार्जन पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन के लिए ई- उपार्जन पोर्टल पर 19 जून से 5 जुलाई 2025 तक किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने जिले के किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादित ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द के पंजीयन कार्य के लिए 54 पंजीयन केन्द्रों का निर्धारण किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त संस्थायें समिति परिसर पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द पंजीयन के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किसान पंजीयन का कार्य करेंगी। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगी।

बालश्रम निषेध दिवस पर विधिक साक्षरतता शिविर

गाडरवारा देशबन्धु। विगत शुक्रवार को स्थानीय प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में विश्व बालश्रम निषेध दिवस एवं बच्चों के शैक्षिक स्वास्थ्य एवं अन्य कानूनी अधिकारों के उपलक्ष्य पर प्रथम जिला न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर मे न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी ने उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिये प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की है। मुफ्त कानुनी सहायता योजना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उन्होने बताया कि एससी एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चें, दिव्यांग, आपदा पीडित, अत्याचार पीडित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 2 लाख रूपये से कम आय वाले वर्गों के लोग मुफत कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। इसके लिये आवेदन की प्रकिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित तहसील विधिक सेवा समिति में जाकर पात्र लोग मुफत कानूनी सहायता के लिये आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि अदालत में लंबित कई मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से भी निपटाया जा सकता है। समय और धन की बचत तथा आपसी संबंधों में सौहार्दयता बनाए रखने के लिये मध्यस्थता एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा समय-समय पर लगाई जाने वाली लोक अदालतों के माध्यम से भी विभिन्न मामलों का निपटारा तत्काल करवाया जा सकता है। साथ ही पीडित प्रतिकर योजना, मोटर वाहन अधिनियम, नशे की समस्या नालसा टोल फ्री नंबर 15100 साइबर अपराधों के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर संस्था के प्रमुख कपिल साहू द्वारा स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। उक्त शिविर में संस्था से स्वाति जैन, आफरीन, मुस्कान राजपूत, स्तुति सोनी चौधरी एवं छात्र-छात्राये एवं कार्यालयीन लिपिक शिखा सोनी, पैरालीगल वॉलेंटियर शेख रहीम की उपस्थिति रही।

सूदखोरों के चंगुल में फंस रही युवा पीढ़ी

गाडरवारा, देशबन्धु। नगर में काफी लंबे समय से सूदखोरी का कारोबार जमकर चल रहा है। अनाप सनाप व्याज पर पैसा देकर सूदखोर युवाओं को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल रहे है। व्याज की दर इतनी अधिक होती है कि सूदखोर का पैसा पट ही नही सकता। व्याज की राशि नही मिलने पर पेनाल्टी लगा दी जाती है या फिर दम देकर कीमती सामग्री छुड़ा कर उनसे मारपीट तक की जाती है। कई युवा तो इन सूदखोरों के कारण अपने घर से तक नही निकल रहे है। इन सूदखोरों को किसी का डर भी नही है।

नगर में सूदखोरी के चलते बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है घटना के बाद कुछ दिन तक तो राहत रही लेकिन अब फिर से वही स्तिथि बनने लगी है। सूद पर पैसा देने वालो का एक बहुत बड़ा समूह है उनका जाल पूरे शहर में फैला हुआ है कुछ लोग तो व्याज पर पैसा दिलाने में दलाली तक करते है। इन सूदखोरो के हौसले इतने बुलंद है कि व्याज का पैसा नही मिलने पर उनके घर जाकर धमकी देते हुए गंदी गंदी गालियां देते है और समय पर व्याज न मिलने पर अतिरिक्त व्याज लेते है। लाखो रुपयों का वाहन ओने पौने दामो में व्याज पर रखकर समय पर व्याज न मिलने पर उसे अपना बना लेते है। पुलिस प्रशासन को नगर में चल रहा है सुदखोरी के चल रहे सूदखोरी के गोरख धंधे को बंद करना होगा। अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो आगामी समय में इसके परिणाम और भी घातक सिद्ध होने की संभावना है।

नगर के जागरुक लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि एक विशेष अभियान चलाकर नगर में चल रहे अवैध रूप से सूदखोरी के धंधे को बंद कराए ताकि जो युवा वर्ग इन सूदखोरों के चंगुल में फसे है उन्हें राहत मिल सके। क्षेत्र के विधायक स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री से भी नगर में चल रहे सूदखोरी व्याज के धंधे पर रोक लगवाने की मांग की है।

महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस का अनंत नरसिंह संस्थान में आयोजन

नरसिंहपुर, देशबन्धु। वीरांगना ,बलिदान और महामानवी जैसी सभी विशेषणों की एकमात्र अधिकारी साहस शौर्य शुरता की प्रतिमूर्ति महारानी लक्ष्मी बाई के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है उक्त उद्गार गायत्री मंदिर परिसर नरसिंहपुर में महारानी लक्ष्मी बाई बलिदान दिवस के अवसर पर राकेश उदेनिया ने रखें।

विगत दिवस रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर अनंत नरसिंह संस्थान नरसिंहपुर ने नगर में कार्यक्रम के पंचम सोपान पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय तिवारी जबलपुर, कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश उदेनिया सामाजिक समरसता सह प्रमुख महाकौशल प्रांत,विशिष्ट अतिथि आचार्य थम्मन शर्मा ,ट्रस्टी गायत्री परिवार एवं प्रमेश शंकर शर्मा संरक्षक अनंत नर्सिह संस्थान मंचासीन रहे व्याख्यान माल में मुख्य वक्ता डॉ अजय तिवारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में मातृशक्ति का योगदान विषय पर अपने व्याख्यान में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने नारी की भूमिका को घर-परिवार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित योद्धा के रूप में खुद को स्थापित किया।

वे महिला सशक्तिकरण की जीवित मिसाल हैं। उन्होंने दिखाया कि स्त्रियां कोमल ही नहीं, कठोर संघर्ष की प्रतिमूर्ति भी बन सकती हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लें। अपने अंदर कर्तव्य, परिश्रम और देशभक्ति की भावना जगाएं। देश को आज फिर ऐसे नायक-नायिकाओं की जरूरत है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने नारी की मर्दानी शक्ति और युद्ध कौशल पहचान कराई। बलिदान दिवस की सार्थकता पर बात करते हुए कहा कि अब हर घर से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अपनी बालिकाओं को शिक्षित और संस्कृत करना होगा।

आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को समान रूप से प्राप्त हो

नरसिंहपुर, देशबन्धु। संगठन के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन नरसिंहपुर शाखा की मासिक बैठक इंजीनियर घनश्याम सिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर बैठक का प्रारंभ किया गया। बैठक में श्यामलाल रघुवंशी, हर प्रसाद कहार,सुभाष दुबे,बी एस पटेल ,जी के चतुर्वेदी आदि पेंशनरों द्वारा संबोधित कर यह संकल्प किया गया कि शासन को आठवें वेतन आयोग का लाभ पूर्व की भांति इस बार भी सभी पेंशनरों को समान रूप से प्रदान किया जावे। अन्य मांगों में कंम्यूटेशन की राशि की वसूली 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह की जावे, महंगाई राहत की बकाया राशि एरियर्स सहित तत्काल भुगतान की जाए, धारा 49-6 को तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावे एवं अन्य पेंशनरों से संबंधी समस्या पर शासन शीघ्र निर्णय लेकर आदेश प्रदान किए जाएं।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि सेवा केंद्र में योग दिवस मनाया गया

गाडरवारा, देशबन्धु। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति सेंटर में योग दिवस मनाया गया जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।जिसमें उपस्थित बाल ब्रह्मचारी ब्रह्माकुमारी बहने एवं योग गुरु श्वेता सिंह भ्राता उत्तम पटेल और समस्त ब्राम्हण वत्स भी उपस्थित रहे।

ब्रह्माकुमारी साधना बहन ने योग और योगा में अंतर को समझाते हुए कहा कि जितना हमारे जीवन के लिए योगा प्राणायाम जरूरी है,उससे कहीं ज्यादा योग जरूरी है। योगा से शरीर तंदुरस्त होता है तो योग से मन तंदुरस्त होता है। योगा का तात्पर्य शारीरिक क्रियो से होता है योग का तात्पर्य मन से होता है। योग हमारे मन को सुमन और संस्कारों को सु संस्कारित बनाता है योग से एकाग्रता की पावर बढ़ती है।

योग से संकल्प में सिद्धि आती है योग चलते फिरते हर कर्म करते हुए किया जा सकता है। योग अर्थात दो चीजों का जोड़ आत्मा और परमात्मा जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो हमारी आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो शक्तिशाली बन जाती है जिससे हम हर परिस्थितियों का सामना सहज ही कर पाते हैं यह वही राजयोग है जिसका वर्णन प्राचीन काल से चला आया है।

ओम शांति मीडिया प्रभारी नीलेश साहू द्वारा बताया गया कि प्रोग्राम में आए अतिथियों का स्वागत नृत्य एवं पुष्प से किया गया।अतिथियों के द्वारा योगा भी कराया गया।

22 जून तक चलेगा नपा का सीएंडडी अपशिष्ट संग्रहण अभियान

रोड पर भवन निर्माण सामग्री मिलने पर होगा स्पॉट फाइन

गाडरवारा, देशबन्धु। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्रानुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगरीय निकायों में शहरी स्वच्छता एवं अधोसंरचनाओं को सुचारू एवं संवहनीय बनाए रखने के उद्देश से एवं नागरिकों की सहभागिता से स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इस हेतु माह जून जुलाई एवं अगस्त में आयोजित होने वाली गतिविधियों का कलैंडर जारी किया गया है। जिस हेतु निकाय क्षेत्र गाडरवारा में संवहनीय स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए कलैण्डर में जारी गतिविधियों के अनुसार सीएमओ ने आदेश जारी कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसमें कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप मिश्रा, स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वास्थ्य शाखा एवं कार्यक्रम सह प्रभारी अजय बाल्मीक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वास्थ्य शाखा को बनाया गया है। साथ ही समस्त सफाई सुपरवाईजर और कैलाश/मुन्ना बाल्मीक एवं समस्त सफाई कर्मचारी टेचिंग ग्राउंड की ड्यूटी लगाई है। जिसमें सी एंड डी अपशिष्ट संग्रहण का साप्ताहिक अभियान 16 से 22 जून तक चलेगा।

इसमें शहर में अनाधिकृत रूप से पड़े हुए सी एंड डी बेस्ट को चिन्हित करना, चिन्हित स्थानों से सी एंड डी का संग्रहण एवं परिवहन करना, प्रसंस्करण इकाई पर सी एंड डी का पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण

मूंग का पंजीयन नहीं करा पा रहे किसान पोर्टल पर गिरदावरी भी अपडेट नहीं

गाडरवारा, देशबन्धु। समर्थन मूल्य पर मूंग-उड़द के पंजीयन का काम बुरी तरह से प्रभावित है। पोर्टल पर गिरदावरी के अपडेट नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। गुरुवार से मूंग-उड़द के पंजीयन का काम शुरू हो गया है। किंतु पंजीयन ना होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण पोर्टल पर गिरदावरी अपडेट न होना बताया जाता है। मप्र शासन द्वारा इसके लिए पोर्टल बनवाया गया था। जिसमें सभी किसान अपनी फसल का पंजीयन कराते थे, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने के कारण अपनी फसल का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। इसके कारण उनकी फसल एमएसपी की दर से नहीं बिक पाएगी। किसानों ने जल्द ही पोर्टल को यथावत खुलवाकर उनकी फसल का पंजीयन कराने की मांग की।

आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

गाडरवारा, देशबन्धु। लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल के निर्देशानुसार पूर्व वर्षानुसार इस वर्ष भी आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जायेगा।

न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गाडरवारा

(श्रीमान् अजय सिंह यादव)

रजनी बाई.....................वादी

बनाम

नारायण सिंह वगैरह...............प्रतिवादीगण

RCSA-08/2023

आदेश दिनांक-24/04/2025

पेशी दिनांक 18/07/2025

आम जनता को सूचना बाबत

इस न्यायालय में वादी रजनी बाई कौरव पुत्री स्व. श्री विजय सिंह कौरव पत्नी श्री लखनलाल कौरव हाल निवास पतलोन (गांधी वार्ड गाडरवारा), तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) ने नारायण कौरव वगैरह एक व्य.वाद क्र. 08अ / 2023 प्रस्तुत किया है जिसमें आप प्रतिवादी क्रम (9) श्रीमती लताबाई पत्नी श्री कैलाश कौरव, निवासी ग्राम रायपुर, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.), हाल निवास झिरना रोड, नेहरू वार्ड कुंवर मुंशी के मकान के पीछे नरसिंहपुर, तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को, इस इश्तहार प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप पेशी दिनांक 18/07/2025 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिसको समस्त तथ्यों की जानकारी हो, उपस्थित रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण कर दिया जायेगा।

नोट - यदि पेशी दिनांक को न्यायालय में अवकाश रहता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी तिथि पर होगी जिस तिथि उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

गाडरवारा, दिनांक 19/06/2026

प्रो. न. 116/2025

(श्रीमान् अजय सिंह यादव)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गाडरवारा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं साधना बाई लोधी पति खुमान सिंह लोधी निवासी मकान नंबर 269 ग्राम पोस्ट झामर तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश खुशलता लोधी (KHUSHLATA LODHI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों, परिचय पत्र, दाखिल खारिज, समग्र आईडी में साधना बाई लोधी (SADHNA BAI LODHI) पति खुमान सिंह लोधी नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत दस्तावेजों में साधना बाई लोधी पति खुमान सिंह लोधी के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

साधना बाई लोधी

एन. ओ. सी. गुम होने की सूचना

मैं पुष्पेन्द्र पिता श्री प्रीतम सिंह राजपूत निवासी गाडरवारा मेरे ट्रेक्टर क्रमांक MP49AB1909 जो महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फायनेंस कंपनी से फायनेंस था जिसकी राशि का भुगतान पूर्ण होने पर मुझे एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था वह कहीं गुम हो गई है कृपया उक्त ट्रेक्टर एन.ओ.सी. किसी को मिले तो कृपया निम्न नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें।

मो.न. 7806076858, 7224935482

मार्केट वॉच गाडरवारा

क्लासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221

सोसायटी फॉर अवेयरनेस एण्ड रूरल एडवांसमेंट, संबद्ध अध्ययन केन्द्र

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

Sara Group of Institutions

प्रवेश प्रारंभ

पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- प्राथमिक चिकित्सा उपचार
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
- फैशन डिजायनिंग
- संगणक अनुप्रयोग डीसीए

स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- आहार एवं जनस्वास्थ्य पोषण
- सायबर कानून
- जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन
- संगणक अनुप्रयोग पीजीडीसीए

एसआर एन्क्लेव, जमाड़ा रोड, महाराणा प्रताप वार्ड, गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर, फोन-8989167883